निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 76 / 2017(रे0वाद)
दायर दिनांक – 04 / 09 / 2017
निर्णय दिनांक –09 / 09 / 2025

अनवान

1. ओमप्रकाश पिता भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. देविका पिता रामनारायण जाति अग्रवाल पत्नी शंकरलाल अग्रवाल निवासी कन्हैया कचोरी के घर के सामने गोकुल नगर फाटक रामनगर सोसायटी हिम्मतनगर पोस्त हिम्मतनगर गुजरात।
2. कलावन्ती उर्फ कला पिता रामनारायण जाति अग्रवाल पत्नी लक्ष्मीलाल अग्रवाल निवासी श्रीनाथ फरसाण भण्डार श्रीनगर तालुका ईडर जिला साबरकाठा गुजरात।
3. चेतना पिता रामनारायण जाति अग्रवाल पत्नी महावीर अग्रवाल निवासी चेतना ग्रह उद्योग श्री नगर गली नं0 2 तालुका ईडर जिला साबरकाठा गुजरात।
4. उर्मिला पिता रामनारायण अग्रवाल पत्नी राजेन्द्र अग्रवाल निवासी रतन चौक बदनोर पोस्ट बदनोर तह0 आसीन्द जिला भीलवाडा।
5. भागवन्ती देवी पिता रामनारायण अग्रवाल पत्नी पारसमल अग्रवाल निवासी कुवालिया वाया गंगरार जिला चित्तोडगढ़।
6. संतरा देवी पिता भंवरलाल अग्रवाल पत्नी पुष्करलाल अग्रवाल निवासी शंभुपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़।
7. कान्ता देवी पिता भंवरलाल अग्रवाल पत्नी जगदीशचन्द्र अग्रवाल निवासी 217 वकील कॉलोनी राजेन्द्र नगर भीलवाडा।
8. विजय अग्रवाल पिता स्व0 सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी अन्दाना तह0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात।
9. अजय अग्रवाल पिता स्व0 सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी अन्दाना तह0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

ओमप्रकाश व अन्य बनाम देविका व अन्य
76/2017 (र0वाद)
निर्णय दिनांकः-09/09/2025

10. मयंक अग्रवाल पिता स्व0 सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी अन्दाना तह0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री ईन्द्रमल कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से–

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88–89–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ए का प्रस्तुत किया कि ग्राम आंजना पटवार सर्कल आंजना तह० देवगढ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त पुश्तेनी आराजियात स्थित है जिसके खाता सं० 17 खसरा नं0 237 रकबा 2 बिघा 10 विश्वा खसरा नं0 446/2 रकबा 6 विस्वा खसरा न० 487/1 रकबा 5 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 489 रकबा बिघा 2 विस्वा खसरा न 490 रकबा 5 बिघा 5 विस्वा खसरा नं० 491 रकबा 2. बिघा 4 विस्वा खसरा न० 499/1 रकबा 2 बिघा खसरा नं0 579 रकबा 1 बिघा 16 विश्वा, खसरा नं० 580 रकबा 1 बिघा 19 विस्वा खसरा नं0 585 रकबा 5 विस्वा खसरा नं0 586 रकबा 06 विस्वा कुल किला 11 रकबा 22 बिघा 16 विस्वा भुमि होकर स्थित है एवं आराजी चाह नं० 587 रकबा 4 विश्वा व आराजी चाह नं0 692 रकबा 4 विस्वा स्थित है। वादीगण के पिता स्व० श्री भंवरलाल जी पिता जडावचन्द्र जी के चार पुत्र स्व० श्री भवरलाल, स्व० श्री रामनारायण जी, श्री राधेश्यामजी, स्व० श्री नन्दकिशोर जी थे। श्री रामनारायण पिता जडावचन्द जी ने जो एक ही परिवार के होकर पारिवारीक मेम्बर थे जिन्होने अपने हिस्से एवं कब्जे मे दर्ज अपनी पुश्तेनी हिस्से का जरीये ईकरार विकय दिनांक 06.04.1991 को श्री भंवरलाल जी के हक में निष्पादित किया की मेरे नाम दर्ज भूमि ग्राम आंजना के कुल किता 12 रकबा 22 विघा 19 विश्वा भूमि मे से मेरा 1/4 हिस्सा एव आराजी चाह 592 व 587 में से मेरा हिस्सा जिसे में बेचने का अधिकारी हूं। मैने बिल एवज 10,000/– रूपये में मेरे भाई भवरलाल जी विक्रय कर दी है। उक्त विकय ईकरारनामा के बाद श्री रामनारायण जी अपने समस्त हक हकुक अधिकार श्री भंवरलाल जी को सुपुर्द कर

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

दिया एव श्री भंवरलाल जी से 10,000/– रूपये लेकर उक्त भूमि का कब्जा श्री भंवरलाल जी को श्री रामनारायण जी ने सुपुर्द कर दिया तब से श्री भंवरलाल जी एव उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारीसान उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल कास्त करते हुए अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है। एव ईकरारनामा अनुसार भी श्री रामनारायण जी एवं उनके वारीसान का हक हकुक उक्त भूमि पर कोई बकाया शेष नहीं रहा। विकय ईकरार के बाद श्री रामनारायण जी अपने व्यापारिक व्यवसाय हेतु ईडर गुजरात चले गये एव वही पर उनका स्वर्गवास हुआ। श्री रामनारायण जी की पत्नि श्रीमति सीताबेन का भी स्वर्गवास वही ईडर में हो चुका है एव उक्त भूमि पर वादीगण वक्त विकय से ही काबिज कास्त है। वादीगण के पिता श्री भंवरलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 09.02.2001 एवं वादीगण की माता श्रीमति बसंती बाई का स्वर्गवास पूर्व में ही हुआ था, वे वादीगण के पिता श्रीभँवरलाल जी के उत्तराधिकारी प्रतिसं0 1 व 2 एववादी प्रति सं0 6 व 7 एव प्रतिवादी सं0 8, 9, 10 स रूप से हैं। श्री भंवरलाल जी के तीन पुत्र श्री साधु जी, श्री प्रियालाल जी एवं स्व0 श्री सुरेश कुमार जी तथा दो पुत्री श्रीमती सन्तरा देवी एवं श्रीमति कांता देवी हैं। पीडीएफ से प्रतिवादी सं0 8, 9, 10 स्व0 सुरेश कुमार जी के वारिसान है। यह कि उक्त भूमि पर वादीगण के भागों में श्री भंवरलाल जी का सम्पूर्ण भाग एवं श्री रामनारायण जी द्वारा खरीदा हुआ सम्पूर्ण भाग वादीगण के खण्डों में एक चित्र है। प्रतिगण सं0 6, 7, 8, 9, 10 भवरलाल जी के वारिसान होने से हीरा वाद में आवश्यक समर्थक बनाये गये है परन्तु भूमि वादगण के ही भाग का उपयोग में होकर उन्हीं के कब्जे कारत में है। एव वादी गण ने उक्त भूमि को काबिल कास्त बनाने में एवं उपयोग करने हेतु व भूमि की बाउण्ड्रीवाल बनाने में लाखो रूपये खर्च किये साथ ही आराजी चाह को गहरा करने में भी हजारों रूपये खर्च किये। हाल ही में करीब 10 रोज पुर्व वादीगण को पता चला कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 से 5 आई एवं कहने लगी कि मेरे पिता की जमीन है जो हमारे नाम पर आ गई है तुम अपना कब्जा छोडो। जब वादीगण ने कहा कि उक्त भूमि तो हमारी है एवं हमारे पिता द्वारा खरीद की गई है। इसका प्रतिफल दिया गया है एव भूमि हमारी है। वादीगण को विवाद होने पर

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

राजस्व रिकोर्ड की नकले ग्राम आजना तह० देवगढ़ से लेने पर ज्ञात हुआ कि हाल ही में नामान्तरण सं० 1051 दिनांक 14.07. 2017 को स्व० रामनारायण जी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं० 1 से लगायत 5 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई है। वर्तमान परिपेक्ष्य में जमीनों के भाव बढ़ जाने से एव जमीनो की महत्त्वकाक्षी लोगो के बीच में आ जाने से प्रतिवादी सं० 1 से 5 की नियत में खोट आ गई है जब किवह अच्छी तरह से जानते थे कि उक्त भूमि पुर्व में हमारे पिता द्वारा बेची गई है एव उन्ही के कब्जे कास्त में है हमारा कोई हक हकुक नहीं है फिर भी उन्होने भूमि हडपने के लिये अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करा भूमि विकय करने पर आमदा है। एव वादीगण के किये जा रहे निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के कास्त पर व्यवधान उत्पन कर भूमि में प्रवेश किये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं। वाद हेतुक दिनांक 03.08.2017 को जब प्रतिवादीगण सं० 1 से 5 द्वारा विवाद पैदा कर धमकीया दी गई तब से उत्पन होकर निरन्तर जारी है। वादीगण स्व० रामनारायण जी द्वारा विकय की गई भूमि जो जरीये ईकरार दिनांक 06.04.1991 को की गई व कॉलम सं० 1 में अंकित भूमि अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराये जाने की घोषणा किये जाने की अधिकारी है एव स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण सं० 1 से 5 को पाबन्द कराये जाने के भी अधिकारी है कि वह वादीगण के उपयोग उपभोग व हिस्से की खरिदी गई भूमि पर स्वयं अपने ऐजेन्ट नौकर चाकर के द्वारा कोई बाधा उत्पन नहीं करे न ही प्रवेश करे साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को बय बक्षीस हस्तानान्तरण नही करें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है। कि ग्राम आंजना पटवार सर्कल आंजना तह० देवगढ़ के खाता सं० 17 खसरा नं0 237 रकबा 2 बिघा 10 विस्वा खसरा नं0 446/2 रकबा 6 विश्वा खसरा नं0 487/1 रकबा 5 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 489 रकबा 1 बिघा 2 विस्वा खसरा नं0 490 रकबा 5 बिघा 5 विस्वा खसरा नं0 491 रकबा 2 बिधा 4 विस्वा खसरा नं० 499/1 रकबा 2 बिघा खसरा नं0 579 रकबा 1 बिधा 16 विस्वा, खसरा नं0 580 रकबा 1 बिघा 19 विस्वा खसरा नं0 585 रकबा 5 विस्वा खसरा नं0 586 रकबा 06 विस्वा कुल किता 11 रकबा 22 बिघा 16 विस्वा भुमि एव आराजी चाह न० 587 रकबा 4 विस्वा व आराजी चाह नं0 592 रकबा 4 विस्वा स्थित भूमि में प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सं० 1 से 5 का दर्ज नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा व इसी आशय की डीकी प्रदान की जावे। प्रतिवादी सं० 1 से 5 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात मे वादीगण द्वारा की जा रही कास्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन न तो स्वयं करे न ही अपने ऐजेन्ट नौकर चाकर के द्वारा कोई बाधा उत्पन करे न ही प्रवेश करे साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को बय बक्षीस हस्तानान्तरण नही करें। दौराने वाद उक्त भूमि का कही हस्तानान्तरण हो जाता है तो पुर्ववत स्थिति बहाल फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता का जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये गए।

अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में ओमप्रकाश पिता भंवरलाल, ख्याली लाल पिता भंवर लाल एवं पन्नालाल पिता गणेश लाल के शपथ पत्र पेश किए एवं दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम आजंना पटवार हल्का आंजना के खाता संख्या 17 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श संख्या 01, नामान्तरण संख्या 1051 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श संख्या 02, इकरारनामा विक्रय दिनांक 06.04.1991 की छायाप्रति प्रदर्श संख्या 03, माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीक्ष देवगढ़ जिला राजसमन्द के निर्णण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श संख्या 04 प्रस्तुत किये गये।

वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि को रामनारायण पिता जडावचन्द द्वारा ग्राम आंजना के कुल किता 12 रकबा 22 बीघा 19 विस्वा भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं आराजी चाह 592 व 587 में से रामनारायण पिता जडावचन्द का हिस्सा जरिये इकरारनामा विक्रय दिनांक 06.04.1991 द्वारा वादीगण के पिता भंवरलाल को विक्रय कर दी। उक्त भूमि पर वादीगण काबिज

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

काश्त है। उक्त भूमि भंवरलाल के नाम दर्ज नहीं हो सकी। वादीगण उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:–

88. Suits for declaration of right—

1. (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.
2. (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.
3. (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.
4. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वाद सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी का स्वीकार किया जाकर ग्राम आंजना पटवार सर्कल आंजना तह० देवगढ़ के खाता सं० 17 खसरा नं0 237 रकबा 2 बिघा 10 विस्वा खसरा नं0 446/2 रकबा 6 विश्वा खसरा नं0 487/1 रकबा 5 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 489 रकबा 1 बिघा 2 विस्वा खसरा नं0 490 रकबा 5 बिघा 5 विस्वा खसरा नं0 491 रकबा 2 बिधा 4 विस्वा खसरा नं० 499/1 रकबा 2 बिघा खसरा नं0 579 रकबा 1 बिधा 16 विस्वा, खसरा नं0 580 रकबा 1 बिघा 19 विस्वा खसरा नं0 585 रकबा 5 विस्वा खसरा नं0 586 रकबा 06 विस्वा कुल किता 11 रकबा 22 बिघा 16 विस्वा भुमि एव आराजी चाह न० 587 रकबा 4 विस्वा व आराजी चाह नं0 592 रकबा 4 विस्वा स्थित भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 05 नाम विलोपित किया जाकर उनके

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

ओमप्रकाश व अन्य बनाम देविका व अन्य
76/2017 (रेवाद)
निर्णय दिनांक–09/09/2025

स्थान पर वादी संख्या 01 एवं 02 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

ओमप्रकाश व अन्य बनाम देविका व अन्य
76/2017 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–09/09/2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः– 76/2017(रे0वाद)

1. ओमप्रकाश पिता भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. देविका पिता रामनारायण जाति अग्रवाल पत्नी शंकरलाल अग्रवाल निवासी कन्हैया कचोरी के घर के सामने गोकुल नगर फाटक रामनगर सोसायटी हिम्मतनगर पोस्त हिम्मतनगर गुजरात।
2. कलावन्ती उर्फ कला पिता रामनारायण जाति अग्रवाल पत्नी लक्ष्मीलाल अग्रवाल निवासी श्रीनाथ फरसाण भण्डार श्रीनगर तालुका ईडर जिला साबरकाठा गुजरात।
3. चेतना पिता रामनारायण जाति अग्रवाल पत्नी महावीर अग्रवाल निवासी चेतना ग्रह उद्योग श्री नगर गली नं0 2 तालुका ईडर जिला साबरकाठा गुजरात।
4. उर्मिला पिता रामनारायण अग्रवाल पत्नी राजेन्द्र अग्रवाल निवासी रतन चौक बदनोर पोस्ट बदनोर तह0 आसीन्द जिला भीलवाडा।
5. भागवन्ती देवी पिता रामनारायण अग्रवाल पत्नी पारसमल अग्रवाल निवासी कुवालिया वाया गंगरार जिला चित्तोडगढ़।
6. संतरा देवी पिता भंवरलाल अग्रवाल पत्नी पुष्करलाल अग्रवाल निवासी शंभुपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़।
7. कान्ता देवी पिता भंवरलाल अग्रवाल पत्नी जगदीशचन्द्र अग्रवाल निवासी 217 वकील कॉलोनी राजेन्द्र नगर भीलवाडा।
8. विजय अग्रवाल पिता स्व0 सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी अन्दाना तह0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात।
9. अजय अग्रवाल पिता स्व0 सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी अन्दाना तह0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात।
10. मयंक अग्रवाल पिता स्व0 सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी अन्दाना तह0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

ओमप्रकाश व अन्य बनाम देविका व अन्य
76 / 2017 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—09 / 09 / 2025

उपस्थित :—
वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से—

में इस आशय मे दिनांक 09 / 09 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी का स्वीकार किया जाकर ग्राम आंजना पटवार सर्कल आंजना तह० देवगढ़ के खाता सं० 17 खसरा नं0 237 रकबा 2 बिघा 10 विस्वा खसरा नं0 446 / 2 रकबा 6 विश्वा खसरा नं0 487 / 1 रकबा 5 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 489 रकबा 1 बिघा 2 विस्वा खसरा नं0 490 रकबा 5 बिघा 5 विस्वा खसरा नं0 491 रकबा 2 बिधा 4 विस्वा खसरा नं० 499 / 1 रकबा 2 बिघा खसरा नं0 579 रकबा 1 बिघा 16 विस्वा, खसरा नं0 580 रकबा 1 बिघा 19 विस्वा खसरा नं0 585 रकबा 5 विस्वा खसरा नं0 586 रकबा 06 विस्वा कुल किता 11 रकबा 22 बिघा 16 विस्वा भुमि एव आराजी चाह न० 587 रकबा 4 विस्वा व आराजी चाह नं0 592 रकबा 4 विस्वा स्थित भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 05 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादी संख्या 01 एवं 02 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09 / 09 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)